Regd. No. D. (D.N.)-72

289

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

383] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 1982/भाद्र 4, 1904
383] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 1982/BHADRA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषिमंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1982

सा०का०नि० 619(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्य विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्य विनियमन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्य विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) अभिप्रेत है।

(ख) "कर्मीदल" के अन्तर्गत मत्स्य जलयान के प्रचालन से संबंधित तकनीकी, अर्द्ध-तकनीकी और अतकनीकी सदस्यों का दल है;

(ग) किसी विदेशी जलयान के संबंध में "ध्वज राज्य" से वह राज्य अभिप्रेत है जिसमें जलयान रजिस्ट्रीकृत है, या जहां जलयान रजिस्ट्रीकृत नहीं है, वहां वह राज्य जिसका ध्वज फहराने के लिए जलयान हकदार है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपावद्ध कोई प्ररूप अभिप्रेत है,

(ङ) "अनुज्ञप्ति" से धारा 4 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(च) "अनुज्ञापत्र" से यथास्थिति धारा 5 या धारा 8 के अधीन दिया गया अनुज्ञा-पत्र अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है,

(ज) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है और भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्य विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. अनुज्ञप्तियां :—(1) किसी विदेशी जलयान का प्रत्येक स्वामी या धारा 4 में वर्णित कोई अन्य व्यक्ति जो भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर मत्स्यन के लिए ऐसे जलयान का उपयोग करना चाहता है, केन्द्रीय सरकार को प्ररूप क में आवेदन करेगा। इस प्ररूप में निम्नलिखित सूचना दी जाएगी :

(क) जलयान का नाम और वर्णन उसका उपस्कर और कर्मी मंडल ,

(ब) जहां जलयान भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर है वहां जलयान का मास्टर या मास्टर की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, उस जल क्षेत्र से अपने प्रस्थान का अनुमानित समय, उस अनुमानित समय से कम से कम 072 घंटे पूर्व केन्द्रीय सरकार को अधिसूचित करेगा;

(स) अनुज्ञप्ति धारक, जब उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, जलयानों के फलक पर भारतीय कर्मीदल और कार्मिक के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेगा ;

(2) अनुज्ञप्तिधारी उपनियम (1) में उल्लिखित सभी या किन्हीं निबंन्धनों और शर्तों तथा ऐसी अतिरिक्त शर्तों या निर्बन्धनों से, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाएं, आबद्ध होगा ।

6. अनुज्ञा-पत्र :—

(1) ऐसा प्रत्येक भारतीय नागरिक और धारा 5 में वर्णित व्यक्ति जो भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर मत्स्यन के लिए किसी विदेशी जलयान का प्रयोग करना चाहता है अनुज्ञापत्र के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा ।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन प्ररूप में होगा और उसतारीख से जिस तारीख को अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है कम से कम 30 दिन पूर्व किया जायेगा ।

(3) प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ 500 रुपये की फीस होगी जो अप्रतिदेय होगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी जांच, जो सुसंगत हो, करने के पश्चात् प्ररूप झ में अनुज्ञा-पत्र इन नियमों के नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित सभी या किसी एक प्रयोजन के लिये दे सकेगा।

7. अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता :—(1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र—

(क) मूल रूप में दो प्रतियों में जारी किया जायेगा और अधिप्रमाणित प्रतियां प्रवर्तन और अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों को वितरित की जायेंगी

(ख) उस अवधि के लिये, जो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट होगी, विधिमान्य होगा और किसी भी दशा में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट दूसरी प्रतियों का व्यपन निम्नलिखित रूप में किया जायेगा :

(क) एक अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र धारक के उपयोग के लिये होगा, और

(ख) एक अनुज्ञापत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिधारित किया जायेगा ।

9. अनुज्ञापत्र के निबन्धन और शर्तें :—(1) प्रत्येक अनुज्ञापत्र निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन होगा, अर्थात :—

(क) अनुज्ञापत्र धारक (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में चार्टरकर्ता कहा गया है) केन्द्रीय सरकार को, अनुज्ञापत्र का परिदान लेते समय प्रति वर्ष प्रति जलयान के लिये 10 हजार रुपये की रकम का संदाय करेगा ;

(ख) अनुज्ञापत्र धारक अपेक्षित प्रबन्ध कार्मिक रखेगा जो मत्स्य में आवश्यक अनुभव रखते हैं ;

(ग) चार्टरकर्ता, चार्टर के प्रारम्भ के पूर्व, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाने वाली रकम का बैंक प्रत्याभूति के रूप में यह वचनबंध करेगा कि वह अनुसूची II में विनिर्दिष्ट नियत अवधि की समाप्ति के पूर्व अपेक्षित संख्या में जलयान क्रय करेगा और उन्हें भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य प्रक्रिया लगायेगा।

(घ) चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मीदल का कम से कम 20 प्रतिशत भारतीय नागरिक है और विदेशी कप्तान/इंजीनियर और अन्य प्रवर्तक कर्मीदल के अधीन अध्ययन करने के लिये तैनात किये जाते हैं और कि वे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जलयान के निरीक्षण के समय चार्टर्ड जलयान पर पोतारोहण के लिये तैयारी की स्थिति में रखे जायेंगे और चार्टर अवधि के दौरान जलयान के फलक पर रहेंगे;

(ङ) चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पोत भाटक पत्र में पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थन् द्वारा भारत में सुलझाने के लिये व्यवस्था है

(च) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक चार्टर्ड जलयान के फलक पर वैज्ञानिक प्रेक्षक तैनात कर सकता है । चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय वैज्ञानिक और प्रेक्षकों को जब केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार निर्दिष्ट किये जायें, ऐसे आंकड़े और ऐसी सामग्री जिस की उस सरकार द्वारा अपेक्षा की जाये, संकलित करने और उनकी परीक्षा करने के लिये चार्टर्ड जलयान के फलक पर जाने की अनुज्ञा दी जाती है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे वैज्ञानिक और प्रेक्षकों के लिये जलयान के मास्टर द्वारा जलयान के फलक पर उचित भोजन और वास सुविधा दी जाती है

(छ) चार्टरकर्ता, चार्टर्ड जलयान के लिये अपने ध्वज राज्य के समुचित प्राधिकारी से मूल्यांकन और समुद्र यात्रा योग्यता के प्रमाणपत्र लेकर केन्द्रीय सरकार को देगा और उनकी एक प्रति महानिदेशक, पोत परिवहन मुम्बई को भी देगा ।

(ज) चार्टरकर्ता, केन्द्रीय सरकार इस आशय के आवश्यक प्रमाणपत्र दिलवाएगा कि चार्टर्ड जलयान वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के उपबन्धों के अनुसार जलयानों और कर्मीदल की सुरक्षा की बाबत अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(झ) चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि—

(i) ऐसी संरक्षित प्रजातियों को मछली नहीं पकड़ी जाती हैं जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अन्तर्गत आती हैं ;

(ii) ऐसी संरक्षित प्रजातियां यदि पकड़ी जाती हैं तो यदि संभव है तो उन्हें जीवित अवस्था में ही जल में तुरन्त वापस डाल दिया जायेगा और यदि वे जीवित नहीं हैं तो उन्हें जलयान के फलक पर प्रतिधारित किया जायेगा और संरक्षित किया जायेगा और उन्हें प्ररूप ग में उनका हिसाब रखा जायेगा और उन्हें ऐसे स्थान पर जिसे प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट करे, अभ्यर्पित किया जायेगा ।

(ञ) चार्टरकर्ता तटीय डिम्बों के विदोहन के लिये डिम्ब शिकार करने की संक्रिया नहीं करेगा;

(ट) जहां चार्टरकर्ता कोई कम्पनी है, वहां कम्पनी की संदत्त पूंजी चार्टर की अवधि के दौरान 5 लाख रुपए से कम नहीं होगी;

(ठ) चार्टरकर्ता, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी विपणन कमीशन का संदाय नहीं करेगा ।

(ड) चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि चार्टर्ड जलयान प्रत्येक मत्स्यन समुद्र यात्रा के पूर्व और उसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करता है और विदेशी पत्तन को प्रत्येक प्रस्थान के पूर्व चार्टरकर्ता को अपने कब्जे में अनुज्ञापत्र की प्रति परिदत्त करता है;

(ढ) चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि चार्टर्ड जलयान पर कर्मीदल के विदेशी सदस्य केन्द्रीय सरकार से आवश्यक अनुमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही नियोजित किए जाते हैं ;

(ii) जलयान का कर्मीदल किसी ऐसी प्रजातीय, आकार या आयु की मछली, नहीं पकड़ेगा जो अनुज्ञप्ति में अधिकथित है कि वह पकड़ने के लिए प्रतिषिद्ध है और जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अन्तर्गत आते हैं, और जहां ऐसी मछली पकड़ी जाती है वहां वह जलयान के फलक पर प्रतिधारित की जाएगी और संरक्षित की जाएगी, प्ररूप ग में उसका हिसाब दिया जाएगा और ऐसे स्थान पर अभ्यर्पित कर दी जाएगी जो प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट करे;

(iii) अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के दौरान भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में पकड़ी गई मछली के किसी भी स्टाक या स्टाक के समूह की मात्रा उस मात्रा से अधिक नहीं होगी जो अनुज्ञप्ति में अधिकथित है;

(iv) जलयान का कर्मीदल, अनुज्ञप्ति में अधिकथित मात्रा के आधिक्य पकड़ी गई मछली के स्टाक या स्टाकों के समूह को किसी सारवान् मात्रा को त्यक्त नहीं करेगा स्टाक या स्टाकों के समूह की ऐसी मात्रा जलयान के फलक पर प्रतिधारित की जाएगी, संरक्षित की जाएगी, उसका प्रारूप घ में हिसाब दिया जाएगा और ऐसे स्थान पर अभ्यर्पित की जाएगी जो प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट करे;

(v) जलयान का कर्मीदल केवल अनुज्ञप्ति में अधिकथित किस्म के मत्स्य उपस्कर और गियर द्वारा ही मत्स्यन करेगा, और

(vi) जलयान का मास्टर, जलयान के मत्स्यन अभ्यास और उसकी पकड़ तथा किसी यानांतरण और मात्रा, प्रजातीय, आकार तथा भार द्वारा पकड़ के अन्य व्ययन का लिखित अभिलेख दैनिक आधार पर प्ररूप ङ में रखाएगा।

(झ) जहां मत्स्य स्थल से मछली का परिवहन अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, वहां--

(i) उस प्रयोजन के लिए जलयान के फलक पर केवल अनुज्ञप्ति में अधिकथित मछली की प्रजातियां और मात्रा ले जाई जाएंगी;

(ii) अनुज्ञप्ति में अधिकथित वर्ग के जलयान से ही मछली फलक पर ले जाई जाएंगी; और

(iii) जलयान का मास्टर यानांतरण के लिए जलयान के फलक पर ले जाई गई मछली का लिखित अभिलेख दैनिक आधार पर प्ररूप च में रखा जाएगा।

(ञ) जहां मछली का प्रसंस्करण अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत किया जाता है वहां जलयान का मास्टर की गई प्रसंस्करण, संक्रियाओं का और उस प्रयोजन के लिए जलयान के फलक पर ले जाई गई प्रजाति और प्रसंस्करण के प्रक्रम का लिखित अभिलेख दैनिक आधार पर प्ररूप छ में रखा जाएगा।

(ट) जलयान के फलक पर उस दौरन जब वह भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में है हर समय उपस्कर और मत्स्यन गियर जिनके अन्तर्गत संचार उपस्कर भी है, जिन्हें अनुज्ञप्ति में "अपेक्षित उपस्कर" कहा गया है, रखा जाएगा।

(ठ) जलयान का मास्टर या मास्टर की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति जब उसे किसी भारतीय पत्तन में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत किया हो, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उस पत्तन में जलयान के प्रवेश का अनुमानित समय, उस अनुमानित समय से कम से कम 24 घंटे पूर्व अधिसूचित करेगा;

(ड) जहां जलयान भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के किसी क्षेत्र में है और उस क्षेत्र में उस समय मत्स्यन के लिए अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत नहीं है वहां जलयान के फलक पर सभी मत्स्यन गियर नियम 14 में विनिर्दिष्ट रीति से रखे जाएंगे;

(ढ) जलयान का मास्टर, जलयान की स्थिति और समय, संक्रियात्मक शर्तों और मत्स्यन के प्रकार जिसके अन्तर्गत जहां लागू हो, उसकी पकड़ के आंकड़ों के और अन्य यानांतरण या अपनी पकड़ों के ऐसे समय पर, ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे साधनों द्वारा जो अनुज्ञप्ति में अधिकथित हैं, अन्य व्ययनों की रिपोर्ट कराएगा;

(ण) जहां केन्द्रीय सरकार, भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में मत्स्य उद्योग के संबंध में समय-समय पर नमूना लेने, संप्रेक्षण या अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के लिए जलयान से अपेक्षा करती है वहां मास्टर द्वारा उस कार्यक्रम की बाबत उसे जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेगा;

(त) जलयान का मास्टर, जहां केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे, उस सरकार द्वारा लिखित रूप में पदाभिहित किसी तकनीकी प्रेक्षक या किन्हीं प्रेक्षकों को उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी समय और अवधि के लिए, तकनीकी आंकड़े और संप्रेक्षण अभिलिखित करने या नमूने और अभिलेख लेने के प्रयोजन के लिए, या आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रयोजन के लिए फलक पर जाने और फलक पर बने रहने की अनुज्ञा देगा;

(थ) जलयान का मास्टर किसी प्राधिकृत अधिकारी या तकनीकी प्रेक्षक की जो समुद्र में जलयान पर चढ़ या उससे उतर रहा है सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वाधानियां बरतेगा जिसके अन्तर्गत अच्छी नाविक कला का प्रदर्शन भी है जहां आवश्यक हो, जलयान की साइड पर अच्छी क्वालिटी और डिजाइन की चढ़ने और उतरने की सीढ़ी तथा सुरक्षा लाईन रखना भी है।

(द) जहां प्राधिकृत अधिकारी या तकनीकी प्रेक्षक जलयान के फलक पर चार घंटे से अधिक अवधि के लिए रहता है वहां जलयान का मास्टर प्राधिकृत अधिकारी या तकनीकी प्रेक्षक के लिए उपयुक्त खाद्य और वास स्थान की व्यवस्था करेगा ;

(ध) जलयान का मास्टर,

(i) किसी प्राधिकृत अधिकारी या तकनीकी अधिकारी के अनुरोध पर, उस अधिकारी या प्रेक्षक के लिए जलयान के फलक पर संचार सुविधाओं के माध्यम से संदेश भेजने और उन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा;

(ii) प्राधिकृत अधिकारी या तकनीकी प्रेक्षक को अपने कर्त्तव्य और कार्यों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए और जलयान की स्थिति को अवधारित करने के लिए आवश्यक जलयान नौवहन उपस्कर और कार्मिक का उपयोग करने के लिए अपनी शक्ति भर सभी युक्तियुक्त सहायता देगा;

(न) जलयान का मास्टर जब वह भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर है तब किसी भी समय, प्राधिकृत अधिकारी के अनुरोध पर, समुद्र में किसी स्थान पर निरीक्षण के लिए और किसी पत्तन की ओर जो वह अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, आगे बढ़ेगा।

(प) जलयान का मास्टर, किसी जलयान में या पोत में या वायुयान में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, ऐसे प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा उसे दिए गए किसी भी निदेश का तुरन्त पालन करेगा। इस प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संकेत संहिता का प्रयोग किया जाएगा।

(फ) जलयान भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर होते हुए हर समय,

(i) ध्वज राज्य का ध्वज फहराएगा;

(ii) किसी ऐसे स्थान पर जो वायु और समुद्र तल, दोनों से सहज रूप से दृष्टिगोचर हो, अपनी अनुज्ञप्ति में अधिकथित जलयान की पहचान के लिए अक्षर और अंक, ऐसे जलयान की दशा में जिसकी संपूर्ण लम्बाई 20 मीटर से अधिक है कम से कम एक मीटर के सफेद चिन्हों में या किसी अन्य मामले में आधे मीटर की ऊंचाई में काली पृष्ठभूमि पर प्रदर्शित करेगा, और जहां चिन्ह पेंट किए जाते हैं वहां पेंट अच्छी हालत में रखा जाएगा जिससे कि चिन्ह सभी समय पर सुपाठ्य बने रहें;

(ब) जहां जलयान भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर है वहां जलयान का मास्टर या मास्टर की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, उस जल क्षेत्र से अपने प्रस्थान का अनुमानित समय, उस अनुमानित समय से कम से कम 072 घंटे पूर्व केन्द्रीय सरकार को अधिसूचित करेगा;

(म) अनुज्ञप्ति धारक, जब उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, जलयानों के फलक पर भारतीय कर्मीदल और कार्मिक के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेगा ;

(2) अनुज्ञप्तिधारी उपनियम (1) में उल्लिखित सभी या किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों तथा ऐसी अतिरिक्त शर्तों या निर्बन्धनों से, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाएं, आबद्ध होगा ।

6. अनुज्ञा-पत्र :—

(1) ऐसा प्रत्येक भारतीय नागरिक और धारा 5 में वर्णित व्यक्ति जो भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर मत्स्यन के लिए किसी विदेशी जलयान का प्रयोग करना चाहता है अनुज्ञापत्र के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा ।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन प्ररूप जमें होगा और उसतारीख से जिस तारीख को अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है कम से कम 30 दिन पूर्व किया जायेगा ।

(3) प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ 500 रुपये की फीस होगी जो अप्रतिदेय होगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी जांच, जो सुसंगत हो, करने के पश्चात् प्ररूप झ में अनुज्ञा-पत्र इन नियमों के नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित सभी या किसी एक प्रयोजन के लिये दे सकेगा।

7. अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता :—(1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र—

(क) मूल रूप में दो प्रतियों में जारी किया जायेगा और अधि-प्रमाणित प्रतियां प्रवर्तन और अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों को वितरित की जायेंगी

(ख) उस अवधि के लिये, जो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट होगी, विधिमान्य होगा और किसी भी दशा में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट दूसरी प्रतियों का व्यपन निम्नलिखित रूप में किया जायेगा :

(क) एक अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र धारक के उपयोग के लिये होगा, और

(ख) एक अनुज्ञापत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिधारित किया जायेगा ।

8. अनुज्ञापत्र के निबन्धन और शर्तें :—(1) प्रत्येक अनुज्ञापत्र निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन होगा, अर्थात :—

(क) अनुज्ञापत्र धारक (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में चार्टरकर्ता कहा गया है) केन्द्रीय सरकार को, अनुज्ञापत्र का परिदान लेते समय प्रति वर्ष प्रति जलयान के लिये 10 हजार रुपये की रकम का संदाय करेगा ;

(ख) अनुज्ञापत्र धारक अपेक्षित प्रबन्ध कार्मिक रखेगा जो मत्स्य में आवश्यक अनुभव रखते हैं ;

(ग) चार्टरकर्ता, चार्टर के प्रारम्भ के पूर्व, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाने वाली रकम का बैंक प्रत्याभूति के रूप में यह बचनबंध करेगा कि वह अनुसूची II में विनिर्दिष्ट नियत अवधि की समाप्ति के पूर्व अपेक्षित संख्या में जलयान क्रय करेगा और उन्हें भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य प्रक्रिया लगायेगा।

(घ) चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मीदल का कम से कम 20 प्रतिशत भारतीय नागरिक है और विदेशी कप्तान/इंजीनियर और अन्य प्रवर्तक कर्मीदल के अधीन अध्ययन करने के लिये तैनात किये जाते हैं और कि वे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जलयान के निरीक्षण के समय चार्टर्ड जलयान पर पोतारोहण के लिये तैयारी की स्थिति में रखे जायेंगे और चार्टर अवधि के दौरान जलयान के फलक पर रहेंगे;

(ङ) चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पोत भाटक पत्र में पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थन् द्वारा भारत में सुलझाने के लिये व्यवस्था है

(च) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक चार्टर्ड जलयान के फलक पर वैज्ञानिक प्रेक्षक तैनात कर सकता है । चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय वैज्ञानिक और प्रेक्षकों को जब केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार निर्दिष्ट किये जायें, ऐसे आंकड़े और ऐसी सामग्री जिस की उस सरकार द्वारा अपेक्षा की जाये, संकलित करने और उनकी परीक्षा करने के लिये चार्टर्ड जलयान के फलक पर जाने की अनुज्ञा दी जाती है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे वैज्ञानिक और प्रेक्षकों के लिये जलयान के मास्टर द्वारा जलयान के फलक पर उचित भोजन और वास सुविधा दी जाती है

(छ) चार्टरकर्ता, चार्टर्ड जलयान के लिये अपने ध्वज राज्य के समुचित प्राधिकारी से मूल्यांकन और समुद्र यात्रा योग्यता के प्रमाणपत्र लेकर केन्द्रीय सरकार को देगा और उनकी एक प्रति महानिदेशक, पोत परिवहन मुम्बई को भी देगा ।

(ज) चार्टरकर्ता, केन्द्रीय सरकार इस आशय के आवश्यक प्रमाणपत्र दिलवाएगा कि चार्टर्ड जलयान वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के उपबन्धों के अनुसार जलयानों और कर्मीदल की सुरक्षा की बाबत अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(झ) चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि—

(i) ऐसी संरक्षित प्रजातियों को मछली नहीं पकड़ी जाती हैं जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अन्तर्गत आती हैं ;

(ii) ऐसी संरक्षित प्रजातियां यदि पकड़ी जाती हैं तो यदि संभव है तो उन्हें जीवित अवस्था में ही जल में तुरन्त वापस डाल दिया जायेगा और यदि वे जीवित नहीं हैं तो उन्हें जलयान के फलक पर प्रतिधारित किया जायेगा और संरक्षित किया जायेगा और उन्हें प्ररूप ग में उनका हिसाब रखा जायेगा और उन्हें ऐसे स्थान पर जिसे प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट करे, अभ्यर्पित किया जायेगा ।

(ञ) चार्टरकर्ता तटीय डिम्बों के विदोहन के लिये डिम्ब शिकार करने की संक्रिया नहीं करेगा;

(ट) जहां चार्टरकर्ता कोई कम्पनी है, वहां कम्पनी की संदत्त पूंजी चार्टर की अवधि के दौरान 5 लाख रुपए से कम नहीं होगी;

(ठ) चार्टरकर्ता, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी विपणन कमीशन का संदाय नहीं करेगा ।

(ड) चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि चार्टर्ड जलयान प्रत्येक मत्स्यन समुद्र यात्रा के पूर्व और उसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करता है और विदेशी पत्तन को प्रत्येक प्रस्थान के पूर्व चार्टरकर्ता को अपने कब्जे में अनुज्ञापत्र की प्रति परिदत्त करता है;

(ढ) चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि चार्टर्ड जलयान पर कर्मीदल के विदेशी सदस्य केन्द्रीय सरकार से आवश्यक अनुमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही नियोजित किए जाते हैं ;

(ण) चार्टरकर्ता यह और सुनिश्चित करेगा कि कर्मीदल के विदेशी सदस्यों में प्रत्येक पश्चात्वर्ती परिवर्तन केन्द्रीय सरकार की अनुमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाता है।

(त) चार्टरकर्ता प्ररूप ञ में यथाअधिकथित सभी आवश्यक ब्यौरों सहत मछली की पकड़ का समुद्रक्षात्रावार विवरण और चार्टर्ड जलयानों से निर्यात का विवरण केन्द्रीय सरकार को देगा।

(2) चार्टर्डकर्ता निम्नलिखित आबद्ध होगा :

(i) उपनियम (1) में उल्लिखित सभी या कोई निबन्धन और शर्तें

(ii) नियम 5 के उपनियम (1 के खण्ड (क) में विहित शर्तों को छोड़कर अनुज्ञप्ति को लागू सभी या कोई निर्बन्धन और शर्तें; और

(iii) ऐसी अतिरिक्त शर्तें या निर्बन्धन जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

9. जलयान के फलक पर अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का प्रदर्शन :

(1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप अनुप्रमाणित प्रति, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र में वर्णित विदेशी जलयान के, जब वह जलयान भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में है, फलक पर रखी जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उसके अनुरोध पर परीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(2) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र में वर्णित प्रत्येक विदेशी जलयान, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा की प्रति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिये भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा और किसी भारतीय पत्तन की ओर सीधे जा सकेगा, यदि,—

(क) जलयान के फलक पर सभी मत्स्य गियर नियम 14 में विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाता है;

(ख) जलयान का मास्टर किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे दिये गये किन्हीं निदेशों का पालन कर सकेगा।

10. भारतीय जलयान को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिषेध—इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा-पत्र के अधीन भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में कोई भी विदेशी मत्स्य जलयान, किसी भारतीय नागरिक के स्वामित्व या कब्जे में के किसी मत्स्य जलयान, मत्स्य स्टेक, मत्स्य गियर, मत्स्य जाल या अन्य मत्स्य साधित्रों को या तो जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

11. मत्स्य संक्रियाओं का प्रारम्भक :—इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा-पत्र के अधीन भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में कोई भी विदेशी मत्स्य जलयान तट रक्षकों से अनुमति प्राप्त किये बिना मत्स्य संक्रियाएं प्रारंभ नहीं करेगा।

12. राज्य क्षेत्रीय सागर खंड में मत्स्य प्रतिषेध:—कोई भी विदेशी जलयान भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड के भीतर मत्स्य संक्रियाएं तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे किसी विशिष्ट प्रकार के मत्स्यन के लिये अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञा नहीं दी जाती है और किन्हीं अन्य ऐसे निबन्धनों के अधीन होगा जो अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट किये जायें।

13. विस्फोटक, विषैले या हानिकर पदार्थों को ले जाने का प्रतिषेध:—

(1) कोई भी विदेशी जलयान या कोई व्यक्ति, मछलियों को मारने अचेत करने, असमर्थ करने या पकड़ने के लिये विस्फोटकों, विषैले या अन्य हानिकर पदार्थों या साधित्रों, विद्युतधारा का उपयोग करने के लिये फिट किया गया या उसका उपयोग करने के समर्थ बनाने वाला कोई विस्फोटक, विषैले या अन्य हानिकर पदार्थ या साधित्र नहीं ले जायेगा या उन्हें अपने कब्जे या नियंत्रण में नहीं रखेगा।

यदि किसी जलयान के फलक पर या किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई विस्फोटक, विषैला या अन्य हानिकर पदार्थ पाया जाता है तो जब तक उसके प्रतिकूल साबित न हो जाये तब तक यह उपधारणा की जायेगी कि वह ऊपर विनिर्दिष्ट उपयोग के लिये आशयित है।

(2) कोई भी विदेशी जलयान या कोई व्यक्ति उस का पता चलने या उसके अभिग्रहण से बचने के आशय से किसी मत्स्य गियर, मत्स्य जाल या अन्य मत्स्य साधित्र, विस्फोटक, विषैले या हानिकारक पदार्थ या किसी अन्य वस्तु या चीज को विनष्ट करने या परित्याग करने का प्रयास नहीं करेगा।

14. अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के बिना भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में प्रवेश —(1) उपनियम 2 के अधीन रहते हुए कोई भी विदेशी जलयान भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में प्रवेश के लिये किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के प्राधिकार के बिना भारत के सामुद्रिक क्षेत्र से बाहर किसी गन्तव्य स्थान के लिये समुद्र यात्रा के अनुक्रम में ऐसे सागर खंड से होकर जाने के प्रयोजन के लिये प्रवेश कर सकेगा।

(2) वह विदेशी जलयान जिसने किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के प्राधिकार के बिना भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में प्रवेश किया है जब वह भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में रहता है तब निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा :—

(क) जलयान के बोर्ड पर के सभी मत्स्य गियर डेक के नीचे रख दिये जायेंगे या अन्यथा उस स्थान से हटा दिये जायेंगे जहां वह मत्स्यन के लिये साधारणतया प्रयोग किये जाते हैं और ऐसे स्थान पर रखे जायेंगे जहां से वे मत्स्यन के लिये सुगमता से उपलब्ध न हो सकें।

(ख) सभी मत्स्य जल जाल, मत्स्य रज्जु, कांटे, जिग, ट्रालबोर्ड, भार प्लवन, उनके कर्षण, संयोजना, या कर्षण तारों, रस्सियों या ठोस फ्रेमों से वियोजित कर दिये जायेंगे।

(ग) जलयान का मास्टर किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये किन्हीं निदेशों का पालन करेगा, और

(घ) जहां कोई प्राधिकृत अधिकारी जलयान के नाम उसके ध्वज राज्य, उसकी अवस्थिति उसके मार्ग या उसके गन्तव्य स्थान की बाबत या उन परिस्थितियों की बाबत जिनमें उसने भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में प्रवेश किया, जानकारी दिये जाने का अनुरोध करता है वहां जलयान का मास्टर अधिकारी को तुरन्त वह जानकारी देगा।

15. वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण आदि के लिये मत्स्यन :—जहां किसी विदेशी जलयान का, किसी वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वेषण करने के या किसी प्रायोगिक मत्स्यन के प्रयोजन के लिये भारत के किसी सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर मत्स्यन के लिये प्रयोग किया जाना है, वहां केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 8 के अधीन ऐसे विदेशी जलयान को अनुज्ञा दे सकेगी, जहां ऐसी अनुज्ञा दी जाती है वहां केन्द्रीय सरकार नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये अथवा नियम 8 के अधीन अनुज्ञापत्र के लिये विहित सभी या कोई निबन्धन और शर्तें तथा ऐसी अतिरिक्त शर्तें, जो विनिर्दिष्ट की जायें, लागू कर सकेगी।

16. अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या नियमों की शर्तों का उल्लंघन :—इन नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन, अधिनियम के अधीन दी जाने वाली किसी भी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जुर्माने से, जो 50 हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय है।

[सं० 2912/2/81-मात्स्यकी (तकनीकी)-1]

एस०पी० जाखनवाल, संयुक्त सचिव

अनुसूची---I

[नियम 5(1)(क) देखिए]

अनुज्ञप्ति का प्रयोजन	संदेय रकम
1. स्विवड जिगिन द्वारा मत्स्यन	1000 रु० प्रति टन मछली जिसके लिये जलयान अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों द्वारा अनुज्ञात है।
2. ट्राल द्वारा मत्स्यन	2000 रु० प्रति टन मछली जिसके लिये जलयान अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों द्वारा अनुज्ञात है।
3. लम्बे रज्जु/क्लीम जाल द्वारा मत्स्यन	1500 रु० प्रति टन मछली जिसके लिये जलयान अनुज्ञप्ति की निबन्धनों और शर्तों द्वारा अनुज्ञात है ।
4. टयूना के लिये लम्बे रज्जु/कोष संपापन, /खांस और रज्जु मत्स्यन द्वारा मत्स्यन और रज्जु मत्स्यन	1000 रु० प्रति टन मछली जिसके लिये जलयान अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों द्वारा अनुज्ञात है।
5. मछली का परिवहन	प्रत्येक समुद्र यात्रा के लिये जलयान की मत्स्यन वहन क्षमता पर 500 रु० प्रति टन।
6. नियम 3(4) में उल्लिखित किसी अन्य प्रयोजन के लिये	प्रत्येक समुद्रयात्रा के लिये यान की सकल रजिस्ट्रीकृत टन क्षमता पर 200 रु०।

अनुसूची--17

[नियम 8(1)(ग) देखिए]

जलयानों के क्रय की अनुसूची

जलयानों /जलयानों के युग्म की संख्या	चार्टर प्रक्रिया के प्रारंभ से उन मासों की संख्य, जब आबद्धकर क्रय और मत्स्य संक्रियाएं होनी चाहिये				
	पहला जलयान या जलयान का पहला युग्म	दूसरा जलयान या जलयान का दूसरा युग्म	तीसरा जलयान या जलयान का तीसरा युग्म	चौथा जलयान या जलयान का चौथा युग्म	पांचवा जलयान या जलयान का पांचवां युग्म
1.	18	---	---	---	---
2.	18	30	---	---	---
3.	18	24	33	---	---
4.	18	24	33	42	---
5.	18	24	33	42	51

प्रारूप---क

[नियम 3(1) देखिए]

अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001, भारत

महोदय,

मैं, भारत के सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्य विनियमन) अधिनियम 1881 की धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करता हूं जिसकी बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां दी जा रही हैं :--

1. आवेदक का नाम और डाक का पता

2. आवेदक की प्रास्थिति और उसकी वित्तीय हैसियत (यदि आवेदक कंपनी है तो उसकी पूर्ण ब्यौरा दें)

3. आवेदक के वर्तमान क्रियाकलाप, जिसके अन्तर्गत मत्स्यन से संबंधित विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप भी हैं)

4. मत्स्यन जलयानों/मत्स्य प्रसंस्करण यूनिटों/मछली के निर्यात/आयात के ब्यौरे जैसे वह गत तीन वर्षों में थे।

5. प्रस्तावित मत्स्यन की परियोजना के ब्यौरे जिसमें मत्स्य जलयानों की विशिष्टियां, संचालित किये जाने वालों जलयानों की संख्या, अनुमानित मछली की पकड़, परियोजना की अर्थव्यवस्था, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्थाएं, संक्रिया का क्षेत्र और आधार आदि उपदर्शित किये जायें।

6. जलयान, उपस्कर और उपसाधनों का वर्णन :--

(क) जलयान का नाम

(ख) जलयान का ध्वज राज्य और स्वदेश पत्तन

(ग) रजिस्ट्रीकरण का देश और पत्तन

(घ) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

(ङ) रेडियो संकेत चिन्ह/संकेताक्षर रेडियो आवृत्ति

(च) जलयान के स्वामी और मास्टर का नाम

(छ) स्वामी और मास्टर की रष्ट्रिकता और पता

(ज) जलयान का प्रयोजन (जलयान की किस्म)

(झ) जलयान के हल का प्रकार

(ञ) जलयान का वर्ष (सन्निर्माण की तारीख) और पोत-संतरण की तारीख

(ट) डाक का संख्यांक

(ठ) मस्तूक्त का संख्यांक

(ड) रजिस्ट्रीकृत लम्बाई

(ढ) रजिस्ट्रीकृत चौड़ाई

(ण) रजिस्ट्रीकृत गहराई (डैप्थ)

(त) सकल टनभार और शुद्ध टनभार

(थ) मछली रखने की धारिता और प्रशीतन क्षमता।

(द) मुख्य इंजन की किस्म, उसका नाम और वह स्थान जहां मुख्य इंजन का विनिर्माण हुआ है।

IndiaCode

(17) 295

(ध) मुख्य इंजन की अश्व शक्ति, घोषित

(न) नोदक की किस्म

(प) उपस्करों का वर्ग (सूची)

(फ) प्रमाणित कर्मी दल क्षमता

(ब) जलयान की सेवा सीमाएं

(भ) पोत-निर्माता का नाम और पता

(म) जलयान का मूल्य

(य) कोई अन्य टिप्पणी।

7. यान और उसके उपस्कर के विद्युत् विनिर्देश

8. प्रस्तावित मत्स्य संक्रियाओं का वर्णन :—

(क) पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रजातियां।

(ख) मत्स्यन पद्धति और प्रयोग किए जाने वाले गियर का प्रकार और उसकी विमाए और मत्स्य जाल के विभिन्न भागों की जालक्षियां

(ग) वह क्षेत्र/क्षेत्र, जहां मत्स्यन किया जाना है,

(घ) पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा

(ङ) वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है।

(च) यह स्थान, जहां मछली उतारी और/या प्रसंस्कृत की जानी हैं।

(छ) अनुसमर्थक संक्रियाओं का वर्णन और मत्स्य जलयान का नाम और उसका अनुज्ञप्ति संख्यांक (यदि कोई) है) जिसके समर्थन में संबंधित क्रियाकलाप किए जाने हैं।

9. सरकार के साथ सभी व्यवहारों में स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके द्वारा नियुक्त किए गये भारत में निवासी व्यक्ति का नाम और पता और उस सीमा के बारे में साक्ष्य, जिस सीमा तक वह स्वामी की ओर से अधिक और वित्तीय बाध्यताएं लेने के लिये प्राधिकृत है।

10. जलयान के भरण, रसद और अनुरक्षण में भारतीय प्रसुविधाओं के प्रयोग के लिये योजनाएं।

11. ऐसी अन्य सूचना जिसकी भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की जाये।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप—ख

[नियम 3(4) देखिए]

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली

सं०----------तारीख---------- भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन के लिये अनुमति।

यह अनुज्ञप्ति, भारत के सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्य विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) की धारा 4 के अनुसरण में दी जाती है।

2. इसमें नीचे वर्णित विदेशी मत्स्य जलयान को, इस अनुज्ञप्ति के के पैरा 3 में सिनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये और इस अनुज्ञप्ति के पैरा 6 और 8 में अधिकथित शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्त किया जाता है और वह ऐसी सभी भारतीय विधियों के, जो भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में जलयानों को लागू होती हैं, अधीन रहते हुए होगा।

जलयान का वर्णन

जलयान का नाम----------

जलयान के स्वामी का नाम----------

जलयान का प्रकार----------

रजिस्ट्रीकरण का देश/ध्वज राज्य----------

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक----------

सम्पूर्ण लम्बाई----------

कुल टनभार----------

अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो आह्वान संकेत और रेडियो आवृत्ति----------

मास्टर का नाम और पता----------

3. वे उद्देश्य जिनके लिये जलयान का प्रयोग किया जा सकेगा।

4. क्षेत्र।

5. अवधि।

6. अनुमतिधारी नियम 5 में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों तथा पैरा 8 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तें/निर्बन्धन द्वारा आबद्ध होगा।

7. निबन्धनों और शर्तों में ईट, यदि कोई है।

8. अतिरिक्त शर्तें।

9. विदेशी कर्मीदल के नाम।

10. अपेक्षित उपकरणों की सूची

11. यह अनुज्ञप्ति भारत के सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्य विनियमन) नियम, 1982 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तारीख---------से----------तारीख तक के लिये विधिमान्य है।

12. यह अनुज्ञप्ति अन्तरणीय नहीं है।

तारीख----------

सचिव, भारत सरकार

प्ररुप "ग"

[नियम 5 (1) (ज) (II) देखिए]

प्रतिषिद्ध मछली को प्रजातियों की पकड़ का डाटा

1. मत्स्य कम्पनी का नाम और पता :
2. मत्स्य जलयानों की विशिष्टियां
 नाम
 आकार
 मुख्य इंजन की अश्व शक्ति
 संक्रिया का बेस
3. अनुज्ञप्ति संख्यांक और विधिमान्यता की अवधि :
4. अनुज्ञप्ति में प्राधिकृत मत्स्य संक्रियाओं का वर्णन :
5. प्रयोग किए जाने वाले मत्स्य गियर का ब्यौरा
 (क) शीर्ष की लम्बाई
 (ख) अधिकतम गहराई
 (ग) आक्षि आकार
6. पकड़ का वर्णन

क्रम सं०	(जलयान की अवस्थिति) अक्षांश	देशान्तर	तारीख और समय	संक्रियारत गियर	मत्स्य क्षेत्र	गहराई (मी०में)	प्रजातियां (प्रतिषिद्ध)	औसत लम्बाई (से०मी०)	औसत भार (कि०ग्रा०)	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										

7. पकड़ को अभ्यर्पित करने का स्थान
8. अभ्यर्पण से समय पकड़ की दशा
9. मास्टर/कप्तान की टीका-टिप्पणी

स्वामी/स्वामियों के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

"प्ररुप घ"

[नियम 5 (1) (ज) (IV) देखिए]

अनुज्ञप्ति मात्रा के अधिक्य में पकड़ी गई मछली के परिमाण का डाटा

1. मत्स्यन कम्पनी का नाम और पता :
2. मत्स्य जलयानों की विशिष्टियां :
 नाम :
 आकार :
 मुख्य इंजन की अश्व शक्ति :
 संक्रिया का बेस :
3. अनुज्ञप्ति संख्यांक और विधिमान्यता की अवधि :
4. अनुज्ञप्ति में प्राधिकृत मत्स्य संक्रियाओं का वर्णन :
5. अनुज्ञप्ति में अनुज्ञात प्रजाति-वार मछली की मात्रा :

6. पकड़ की विशिष्टियों के ब्यौरे :

सं०	मत्स्य जलयान की अवस्थिति	तारीख और समय	मत्स्य क्षेत्र	मत्स्य गियर की लम्बाई गहराई और अक्षि आकार	पकड़ी गयी प्रजातियां	कच्ची भार (कि०ग्रा०)	जलयान के फलक पर तैयार किए गए पुसंस्कृत उत्पाद	भार (कि०ग्रा०)	कुल पकड़ (कि०ग्रा०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. अधिक पकड़ के ब्यौरे

क्रम सं०	मत्स्य जलयान की अवस्थिति	तारीख और समय	मत्स्य क्षेत्र	गहराई (मीटर में)	अधिकय में पकड़ी गई प्रजातियां	औसत भार भार (कि०ग्रा०)	औसत लम्बाई (से०मी०)	मछली की दशा	अधिक पकड़ के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									

8. अभ्यर्पित की गई अधिक पकड़ की विशिष्टियां

प्रजातियां	भार (कि०ग्रा०)	अभ्यर्थन का स्थान	प्राधिकारी, जिसको अभ्यर्पित की गई है

9. मास्टर/कप्तान की टीका टिप्पणी :

स्वामी/स्वामियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

प्रारूप "ङ"

[नियम 5(1)(ज)(VI) देखिए]

दैनिक संवयी पकड़ लॉग

1. मत्स्य कम्पनी का नाम और पता :

2. मत्स्य जलयानों की विशिष्टियां :

नाम :

आकार :

मुख्य इंजन की अश्व शक्ति :

संक्रिया का वेग :

3. अनुज्ञप्ति संख्यांक और विधिमान्यता की अवधि :

4. प्राधिकृत मत्स्य संक्रियाओं का वर्णन :

5. अनुज्ञप्ति में अनुज्ञप्त प्रजातिवार मछली की पकड़ और मात्रा

6. मत्स्य क्षेत्र

IndiaCode

7. भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश की तारीख :

क्रम संख्यांक	जलयान संख्यांक	स्थिति	तारीख और समय	गियर डालने का समय	गियर उठाने का समय	मत्स्यन घंटे	गहराई (मीटर में)	गियर का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आक्षि आकार	पकड़ी गई प्रजातियां	माला	वर्गन	संचयी योग	संचयी व्ययन	यानांतरण ब्यौरे
10	11	12	13	14	15	16

परिणाम (कि०ग्रा०)

8. पकड़ के व्ययन के ब्यौरे :

मदें :

(क) खपत

(ख) आंत रहित मछली

(ग) सिर सहित (या रहित)

(घ) कतला की गई (फिलेटेड)

(ङ) जमाई गई

(च) डिब्बा बन्द

(छ) खाद्य मछली

(ज) तेल

स्वामी सत्राधियों/प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

प्ररूप "च"

(नियम 5(1)/(झ)(III) देखिए)

यानांतरण की विशिष्टियां

1. मत्स्य कंपनी का नाम और पता :

2. मत्स्य जलयानों की विशिष्टियां :

नाम :

आकार :

मुख्य ईंधन की अश्व शक्ति

3. अनुज्ञप्ति संख्यांक और विधिमान्यता की अवधि

IndiaCode

4. पकड़ और प्रयास के आंकड़े :

क्षेत्र	प्रजाति	उन दिनों की संख्या, जब मत्स्यन किया गया	पकड़ (कि०ग्रा० में)	जलयान से उत्पाद

5. यानांतरण प्राप्त करने वाले जलयान का अनुज्ञप्ति संख्यांक और साइड संख्यांक

6. यानांतरण के समय की स्थिति :

अक्षांश :

देशान्तर :

7. जलयान से संदेश की तारीख :

8. अन्तरित प्रजातियां और उनकी मात्रा

प्रजाति	सकल भार (कि ग्रा०)	मूल्य

अनुज्ञप्तिधारी/उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्ररूप "छ"

(नियम 5(1)(अ) (देखिए)

अनुज्ञप्ति के अधीन जलयान के फलक पर प्रसंस्करण संक्रियाओं की विशिष्टियां

1. मत्स्य कम्पनी का नाम और पता :

2. मत्स्य जलयानों की विशिष्टियां :

नाम :

आकार :

मुख्य इंजन की अश्व-शक्ति :

संक्रिया का बेस :

3. अनुज्ञप्ति संख्यांक और विधिमान्यता की विधि :

4. अनुज्ञप्ति में प्राधिकृत मत्स्य संक्रियाओं का वर्णन :

5. बेस के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्तन का नाम :

6. प्रसंस्करण मशीनरी और उपस्कर :

प्रकार,	यूनिटों की संख्या	विनिर्देश और दैनिक क्षमता	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत

8. भंडारण और धारण :

भंडारण की प्रकृति	प्रजातियों की संख्या	घृत मछली की विमाएं/मात्रा

9. प्रसंस्करण के ब्यौरे:

प्रजातियां	संक्रिया क्षेत्र	संक्रिया की तारीख	संक्रिया अवधि	पकड़ की विशिष्टियां	जलयान पर तैयार किए गए उत्पाद और उनकी मात्रा (कि०ग्रा०)

(इस स्तंभ में, प्रजातियों द्वारा जलयान के फलक पर प्रजातिवार प्रसंस्कृत उत्पादों के प्रकार, अर्थात् आंत रहित मछली, सिर सहित (या रहित), कतला की गई, नमक लगाई गई, जमाई गई, डिब्बा बन्द, खाद्य और तेल आदि)

10. रिपोर्ट करने की स्थिति और समय :

अक्षांश

देशांतर

समय

तारीख :

स्वामी स्वामियों/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप 'ज'

(नियम 6(2) देखिए)

अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन का प्ररूप प्रस्तावित सक्रियाओं के लिए अपेक्षित रूप रेखक ब्योरे

1. आवेदक का नाम और उसका डाक का पता

2. क्या आवेदक कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है, यदि हां तो निम्नलिखित विशिष्टियां दें :

(क) रजिस्ट्रीकरण की तारीख और संख्यांक तथा स्थान

(ख) प्राधिकृत, प्रतिशत और समादत शेयर पूंजी

(ग) नवीनतम तुलनपत्र संलग्न करें

(घ) यदि कम्पनी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969(1969 का 54) के अन्तर्गत आती है तो कृपया उल्लेख करें। क्या आवश्यक अनुमति है ?

3. विदेशी सहयोगी का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, टैलेक्स नम्बर, और बैंक कारों का नाम तथा भारत में और अन्य देशों में उनके क्रिया कलाप

4. आवेदक के वर्तमान क्रियाकलाप, यदि कोई है :

(क) किए गए विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप

(ख) मत्स्य जलयानों/मत्स्य प्रसंस्करण यूनिटों और गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई मछली के ब्योरे

(ग) भारतीय कम्पनी के सभी निदेशकों/मुख्य अधिशासक/संक्रिया प्रबन्धक/अन्य कर्मचारियों के नाम, विनिर्दिष्ट क्षेत्र उपदर्शित रहते हुए सामुद्रिक मत्स्य उद्योग में उनका अनुभव।

5. प्रारम्भ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना के ब्योरे (एक परियोजना रिपोर्ट संलग्न करें जिसमें मत्स्य जलयानों, अनुमानित मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण और विपणन संगठन, प्रबन्ध जिसके अंतर्गत वित्तीय स्रोत भी हैं, संक्रिया की अर्थ-व्यवस्था संक्रिया क्षेत्र और बेस, विदोहन की जाने वाली मत्स्य स्रोतों की पहचान, पकड़ने की पद्धतियां और आयोजित किए जाने वाले गियर आदि की विशिष्टियां भी हैं)।

(क) चार्टर किए जाने वाले जलयानों का प्रकार गियर का प्रकार और जलयानों की संख्या (विस्तृत विनिर्देश और साधारण व्यवस्था के रेखांक और मशीनरी तथा उपस्कर नौचालन प्रकाश, जीवन रक्षा साधनों अग्नि शामक उपस्करों, तालिका मदों आदि की पूरी सूची भी संलग्न करें)

(ख) जलयान, उपस्कर और कर्मीदल व्यवस्था का वर्णन (जलयान के मूल्यांकन उसकी समुद्र यात्रा योग्यता की बाबत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र संलग्न करें):

1. जलयान का नाम
2. जलयान का ध्वज राज्य और स्वदेश पत्तन
3. रजिस्ट्रीकरण का देश और पत्तन
4. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
5. रेडियो आह्वान संकेत/संकेताक्षरा/रेडियो आवृत्ति
6. जलयान के स्वामी और मास्टर का नाम
7. स्वामी और मास्टर की राष्ट्रीकता और उनका पता
8. जलयान का प्रयोजन (जलयान की किस्म)
9. जलयान के हल की किस्म
10. जलयान का वर्ष (सन्निर्माण की तारीख और समुद्र में उतारने की तारीख)
11. डेक का संख्यांक
12. मस्तूलों की संख्या
13. रजिस्ट्रीकृत लम्बाई
14. रजिस्ट्रीकृत चोड़ाई
15. रजिस्ट्रीकृत गहराई (डैफ्ट)
16. सकल टन भार और शुद्ध टन भार
17. मछली रखने की क्षमता और प्रशीतन क्षमता
18. मुख्य इंजन की किस्म, विनिर्मित मुख्य इंजन का नाम और स्थान
19. मुख्य इंजन की घोषित अश्व-शक्ति
20. नोदक की किस्म
21. उपस्करणों का वर्ग (सूची)
22. प्रमाणित कर्मीदल क्षमता
23. जलयान की सेवा सीमाएं
24. पोत निर्माता का नाम और पता
25. जलयान का मूल्य
26. अन्य कोई टिप्पणी

(ध) विदेशी कर्मीदल की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका अनुभव।

(ङ) तटपर नियोजित किए जाने वाले विदेशी कार्मिकों के नाम और पते

(च) विदेशी सहयोगी से प्राप्त प्रस्ताव की अधिप्रामाणित प्राप्ति संलग्न करें

6. चार्टर की अवधि

7. चार्टरेज की वार्षिक दर और सम्पूर्ण कालावधि के लिए चार्टरेज

8. क्या चार्टरकर्ता चार्टर अवधि के पश्चात यानों को क्रय करने का विकल्प प्रतिधारित करता है। और उसके निबंधन

9. क्या विदेशी सहयोगी पकड़ों के निर्यात में सहायता देने के लिए तैयार हैं, यदि हां, तो उसके निबन्धन और शर्तें

10. भारतीय सहकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थाएं

11. चार्टर की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा के प्रत्याशित आगम का विवरण: (जिसके अन्तर्गत निर्यात के माध्यम से कुल उपार्जन में से विदेशी मुद्रा का संकाय नहीं है

12. चार्टर अवधि के दौरान प्रत्याशित कुल आय, कुल व्यय और शुद्ध लाभ

13. पोत भाटक पत्र का प्ररूप, जिसे करने का प्रस्ताव है

14. वित्तीय व्यवस्थाएं (ब्योरे में वर्णन करें)

15. तट स्थापन के प्रस्ताव (यदि कोई है) :

(1) किसी तट आधारित संयंत्र की आशायत अवस्थिति और उसका वर्णन

(2) रजिस्ट्रीकृत निर्यात स्थापन के रूप में किसी तट आधारित संयंत्र के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्ताव और पूरा होने की तारीख

IndiaCode

(3) पकड़ के प्रसंस्करण के लिए व्यवस्थाएं ।

(4) संयंत्र का प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन ।

(5) प्रसंस्कृत और/या निर्यात की जाने वाली कुछ पकड़ का प्रतिशत ।

(6) कुल एकड़ के लिए निर्यात मंडी और विपणन की व्यवस्थाएं ।

घोषणा

मैं/हम भारत के सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्य विनियम) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) की धारा 5 के अनुसरण में और उसके अनुपालन में मेरे द्वारा/हमारे द्वारा की गई इस घोषणा द्वारा यह घोषित करता हूं / करते हैं कि मैं/हम उक्त अधिनियम और नियमों तथा तदधीन जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों को पूरी तरह समझता हूं/समझते हैं और उनका पालन करने का करार करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम यह और घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर आवेदन में दी हुई विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं ।

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

प्ररूप झ

[नियम 6(4) देखिए]

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली

संख्या

तारीख

भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन के लिए

यह अनुज्ञापत्र भारत के सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्य विनियमन) अधिनियम 1981 (1981 का 42) की धारा 5 के अनुसरण में दी जाती है ।

2. श्री को इस अनुज्ञापत्र के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और इस अनुज्ञापत्र के पैरा 8 और 10 में अधिकथित शर्तों के अनुसार, इसके नीचे वर्णित चार्टर के अधीन विदेशी मत्स्य जलयानों का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी जाती है और वह ऐसी सभी भारतीय विधियों के अधीन रहेगा जो भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में जलयानों को लागू होती है ।

3. जलयान का वर्णन

(1) जलयान का नाम
(2) जलयान का प्रकार
(3) किस देश में रजिस्ट्रार है
(4) रजिस्ट्रीकरण संख्या
(5) संपूर्ण लम्बाई
(6) सकल टन भार
(7) अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो आह्वान संकेत और रेडियो आवृत्ति
(8) मास्टर का नाम और पता
(9) विदेशी सहयोगी का नाम और पता

4. चार्टर फीस, संदाय की रीति, और किसी अन्य अनुबन्ध का ब्यौरा

5. वह उद्देश्य जिसके लिए जलयान का प्रयोग किया जा सकेगा ।

6. संक्रिया का बेस और क्षेत्र

7. जलयान की संक्रिया की अवधि

8. अनुज्ञापत्र धारक नियम 8 में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों द्वारा और पैरा 10 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों/निबंधनों द्वारा आबद्ध होगा ।

9. निबंधनों और शर्तों में छूट यदि कोई है ।

10. अतिरिक्त शर्तें

11. विदेशी कर्मीदल का नाम

12. भारत के सामुद्रिक क्षेत्रों (विदेशी जलयान मत्स्य विनियमन) नियम, 1982 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह अनुज्ञापत्र तारीख से तारीख तक विधिमान्य है ।

13. यह अनुज्ञापत्र अन्तरणीय नहीं है ।

तारीख

सचिव, भारत सरकार

प्ररूप—ञ

[नियम 8(1)(त) देखिए]

चार्टरकर्ता द्वारा दिया जाने वाला समुद्र यात्रावार विवरण

1. चार्टरकर्ता का नाम और पता

2. मत्स्य जलयानों की विशिष्टियां

नाम
आकार — सकल लम्बाई / सकल रजिस्ट्रीकृत टन भार
मुख्य इंजन की अश्व शक्ति
संक्रिया का बेस

3. कर्मीदल की संख्या

विदेशी
भारतीय

4. समुद्र यात्रा की अवधि

(1) विदेशी पत्तन से प्रस्थान की तारीख
(2) भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में प्रवेश की तारीख
(3) संक्रिया के बेस पर रिपोर्ट करने की तारीख
(4) मत्स्यन अवधि तक
(5) संक्रिया के बेस से प्रस्थान की तारीख
(6) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र छोड़ने की तारीख

5. प्रत्येक मत्स्यन संक्रिया के ब्योरे (प्रत्येक कर्षण के लिए)

(1) कर्षण संख्यांक
(2) गियर का प्रकार और आकार
(3) स्थिति उतारना कर्षण
अक्षांश
देशान्तर
(4) समय
उतारा गया
कर्षित

IndiaCode

(5) गहराई (मीटरों में)

(6) कुल पकड़ (किलोग्राम में)

पकड़ी गई मुख्य प्रजातियां	भार (किलोग्राम में)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
आदि	

6. (i) कुल पकड़ और प्रत्येक किस्म के लिए सीमा शुल्क केन्द्र पर घोषित मूल्य (विदेशी मुद्रा में)

(ii) प्रत्येक किस्म के लिए देश में विपणन पर वसूल किया गया मूल्य

7. मात्रा (भारतीय रूपयों में) मूल्य और वह देश जिसकी प्रत्येक मद निर्यात की गई थी ।

8. विदेशी सहयोगी को किया गया संदाय
विदेशी मुद्रा में,
रुपयों में,

ख. विदेशी सहयोगी से प्राप्त संदाय
विदेशी मुद्रा में
रुपयों में

चार्टरकर्ता के हस्ताक्षर

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1982

G.S.R. 619(E).—In exericse of the powers conferred by section 25 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981), the Central Government hereby make the following rules, namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels Act, 1981 (42 of 1981);

(b) "crew" includes the team of technical, semi technical and non-technical member associated with the operation of the fishing vessels ;

(c) "flag state" in relation to a foreign vessel means the State in which the vessel is registered or, where the vessel is not registered, the State whose flag the vessel is entitled to fly ;

(d) "Form" means a Form annexed to these rules ;

(e) "licence" means a licence granted under section 4 ;

(f) "permit" means a permit granted under section 5 or under secfion 8, as the case may be ;

(g) "Schedule" means Schedule to these rules ;

(h) words and expressions used but not defined in these rules but defined in the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981) shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Licences.—(1) Every owner of a foreign vessel or any other person described in section 4, who intends to use such vessel for fishing within any maritime zone of India, shall make an application in Form A to the Central Government. This form shall include the following information :—

(a) the name and description of the vessel, its equipment and complement ;

(b) the flag state and home port of the vessel :

(c) the name and address of the owner and master of the vessel and, where applicable, its charter ;

(d) the side number of the vessel, the radio frequencies and call sign ;

(e) a description of the proposed purpose and the period for which the licence is required ;

(f) the name and address of a person resident in India having a permanent office or establishment in India who is authorised by the owner of the vessel to represent him for the purpose of providing liaison with the Government of India ; and

(g) any information required by the Central Government or by an officer designated by it to grant a licence in any case where, in its opinion the information furnished by the applicant requires clarification or amplification.

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be made not less than thirty days prior to the first day on which the licence is required ;

(3) Every such application shall be accompanied by a fee of rupees five hundred which shall not be refundable.

(4) The Central Government or an officer designated by it may, on receipt of an application, after making such enquiry as may be relevant, grant a licence in Form B for all or any of the following purposes, namely :—

(i) to engage in commercial fishing ;

(ii) to tranship or to take on board any fish, outfit or supplies while at sea ;

(iii) to process fish at sea ;

(iv) to transport fish from fishing grounds ;

(v) to land fish or fish products at an Indian port ;

(vi) to purchase or obtain bait, outfits, provisions or supplies (including fuel) at an Indian port ;

(vii) to effect repairs at an Indian Port ;

4. Validity of Licence : (1) Every licence shall,—

(a) be issued in original duplicates ; and authenticated copies shall be distributed to enforcement and other concerned authorities ;

(b) apply only to the foreign vessel described in the licence and, where applicable, to the crew of that vessel ; and

(c) be valid for the period specified in the licence.

(2) The disposition of the duplicates referred to in clause (a) of sub-rule (1) shall be as follows :—

(a) one licence shall be for the use of the licensee ; and

(b) one licence shall be retained by the Central Government.

5. Terms and conditions of licence.—(1) Every licence, shall be subject to the following terms and conditions, namely :—

(a) the licensee shall pay to the Central Government an amount set out in the Schedule I for the purposes mentioned therein at the time of taking delivery of the licence ;

(b) the master of the foreign vessel for which a licence is granted or a person acting on behalf of the mas-

ter shall give twenty four hours prior notice to the authorised officer of—

(i) the estimated time of entry of the vessel into the maritime zone of India ;

(ii) of the location of such entry ; and

(iii) of the approximate schedule of activities to be conducted.

(c) the vessel and its crew shall engage only in the activities that are authorised by the licence ;

(d) the activities authorised by the licence shall be carried out only at the time and in the areas of the maritime zone of India or ports set out in the licence ;

(e) the licensee shall ensure that foreign members of the crew are employed only after obtaining necessary clearance from the Central Government. The Licensee shall further ensure that every subsequent change in the foreign members of the crew is made only after the clearance from the Central Government ;

(f) the master of each foreign fishing vessel during fishing operations shall notify the authorised officer the following,—

(i) time and position of commencement of fishing ;

(ii) the time and position of the temporary departure from the fishing grounds for the purpose of embarking or disembarking an observer or for a call at an Indian port or any other temporary departure from the grounds which will involve departure from any authorised fishing are but which does not include departure from seaward limit of the fishing area beyond the Exclusive Economic Zone of India ;

(iii) the time and position of return to the fishing grounds following temporary departure described in sub-clause (ii) above ;

(iv) the time and position of any shift in its fishing area ;

(v) the time and position at which it will cease fishing and the leave the fishing area ;

(g) the master of the vessel shall communicate the information, to be notified under clause (f), to the officer of the Coast Guard in Porbander, Bombay Cochin. Tuticorin, Madras, Vishakhapatnam, Paradeep, Haldia or Port Blair, at least twenty four hours before the commencement or cessation of fishing. He shall record in communication log, the Indian Standard Time and the contents of each communication made under this clause. All the communication shall be in English ;

(h) where the fishing is authorised by the licence,—

(i) the crew of the vessel shall fish only for the stocks or groups of stocks described in the licence ;

(ii) the crew of the vessel shall not catch any fish by a species, size or age set out in the licence as prohibited catches, that are covered under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and where such fish are caught they shall be retained and preserved on board the vessel, accounted for in Form C and shall be surrendered at such places as may be directed by the authorised officer ;

(iii) the quantities of fish of any stock or group of stocks caught in any area of the maritime zone of India during the terms of licence, or during any specified portion thereof, shall not exceed the quantities set out in the licence ;

(iv) the crew of the vessel shall not discard any substantial quantities of fish of a stock or group of stocks caught in excess of the quantities set in the licence. Such quantities of stock or group of stocks shall be retained and preserved on board the vessel accounted for in Form D and shall be surrendered at such place as may be directed by the authorised officer ;

(v) the crew of the vessel shall fish only by means of fishing equipment and gear of a kind set out in the licence ; and

(vi) the master of the vessel shall cause written records to be maintained on a daily basis o fthe fishing effort and catch of the vessel and of any transhipment and other dispositions of the catch by quantities, species size and weight in Form E.

(i) where the transporting of fish from fishing grounds is authorised by the licence—

(i) Only the species and quantities of fish set out in the licence shall be taken on board the vessel for that purpose ;

(ii) the fish may be taken on board only from vessel of a class set out in the licence; and

(iii) the master of the vessel shall cause written records to be maintained on a daily basis of the fish taken on board the vessel for transportation in Form F ;

(j) where the processing of fish is authorised by the licence, the master of the vessel shall cause written records to be maintained on a daily basis of the processing operations carried out and of the species, quantity and the State of processing of the fish taken on board the vessel for that purpose in Form G ;

(k) the vessel shall have on board at all time during the period it is in maritime zone of India, equipment and fishing gear, including communications equipment, described in the licence as "required equipment" ;

(l) the master of the vessel or a person acting on behalf of the masttr shall, when authorised by the licence to visit an Indian Port, notify the authority specified in the licence of the estimated time of entry of the vessel into that port not less than twenty four hours prior to that estimated time :

(m) where the vessel is in an area of the maritime zone of India and is not authorised by its licence to engage in fishing at that time in that area, all fishing gear on board the vessel shall be stowed in the manner specified in rule 14 ;

(n) the master of the vessel shall cause reports to be made of the position of the vessel in space and time, operational conditions, and the nature of fishing including, where applicable, its catch statistics, and any transhipments or other dispositions of its catch, at such times, to such persons and by such means as are set out in the licence.

(o) where the Central Government requires the vessel to carry out, from time to time, a programme of sampling, observation or research in connection with fisheries in the maritime zone of India, the master shall comply with instructions issued to him by the Government in respect of that programme:

(p) the master of the vessel shall, where required by the Central Government or an officer authorised in this behalf, permit a technical observer or observers designated in writing by that Government to go on board and remain on board, at a time and for a period specified in that behalf, for the purpose of recording scientific data and observations or taking samples and records or any other purpose specified in the order ;

(q) the master of the vessel shall take all reasonable precautions to ensure the safety of any authorised officer or technical observer boarding or leaving the vessel at sea including the observance of practice of good seamanship and, where necessary, the placing of a boarding ladder of good quality and design and safety line over the side of the vessel ;

(r) where an authorised officer or technical observer is on board the vessel for a period of more than four

hours, the master of the vessel shall provide the authorised officer or technical observer with suitable food and accommodation;

(s) the master of the vessel shall,—

(i) at the request of an authorised officer or technical observer, arrange for that officer or observer to send or receive messages by means of communication facities on board the vessel ;

(ii) provide all reasonable assistance in his power to enable an authorised officer or technical observer to carry out his duties and functions, and to the use of vessel's navigation equipment and personnel as necessary to determine the vessel's position;

(t) the master of the vessel shall, at any time, while within the maritime zone of India, at the request of an authorised officer, proceed forthwith for inspection to a place at sea and to a port as may be specified by that officer ;

(u) the master of the vessel, upon being approached by an authorised officer in a vessel or ship or in an aircraft, shall immediately comply with any directions given to him by such authorised officer. For this purpose, the International Code of Signals shall be used ;

(v) The vessel shall, at all time while within the maritime zone of India,—

(i) fly the flag of the flag state ;

(ii) display in a place that is clearly visible both from the air and from sea level the letters and numbers identifying the vessel as set out in its licence, in white markings of at least one metre in height in the case of a vessel whose overall length exceeds twenty metres or one-half metre in height in any other case, on a black background, and where the markings are painted, the paint work shall be maintained in good condition so that the markings are clearly legible at all times ;

(w) where the vessel is in the maritime zone of India, the master of the vessel or a person acting on behalf of the master shall notify the Central Government of the estimated time of departure from those waters not less than seventy two hours prior to that estimated time ;

(x) the licensee shall, when required to do so, make arrangements for training of Indian crew and personnel on board the vessels ;

(2) the licensee shall be bound all or any of the terms and conditions mentioned in sub rule (1) and such addtional conditions or restrictions as may be specified in the licence.

6. Permits : (1) Every Indian citizen and person described in section 5 who intends to use any foreign vessel for fishing within any maritime zone of India shall make an application to the Central Government for a permit.

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be in Form H and shall made not less than thirty days prior to the first day on which the permit is required.

(3) Every such application shall be accompained by a fee of rupees five hundred which shall not be refundable.

(4) The Central Government or an officer designated by it may on receipt of an application after making such enquiry as may be relevant, grant a permit in Form I for all or any of the purposes mentioned in sub-rule (4) of rule 3 of these rules.

7. Validity of permit—(1) Every permit shall,

(a) be issued in original duplicates and authenticated copies are to be distributed to enforcement and other connected authorities.

(b) be valid for a period as may be specified in the permit and in no case exceed more than five years.

(2) The disposition of the duplicates refered to in clause (a) of sub-rule (1) shall be as follows :

(a) one permit shall be for the use of the permit holder ; and

(b) one permit shal be retained by the Central Government.

8. Terms and conditions of permit : (1) Every permit shall be subject to the following terms and conditions, namely :—

(a) the permit holder (hereinafter referred to as the charterer in this rule) shall pay to the Central Government an amount of Rupees ten thousand per vessel per year at the time of taking delivery of the permit ;

(b) the charterer shall have the requisite managerial personnel who possess the necessary experience of fishing ;

(c) the charterer shall give an undertaking in the form of bank guarantee, before the commencement of the charter, of an amount to be decided by the Central Government in each case to the Central Government that he shall purchase required number of vessels and put them in fishing operation in the Exclusive Economic Zone of India before the end of the stipulated period specified in the Schedule II.

(d) the charterer shall ensure that at least twenty per cent of the crew are Indian citizens and are posted as under studies to the foreign skipper, the engineer and to the other operational crew and that they shall be kept in readiness to embark on the chartered vessel at the time of inspection of the vessel by the authorised officer ad shall remain on board the vessel throughout the charter period.

(e) the charterer shall ensure that the charter party provides for the settlement of disputes between the parties by arbitration in India.

(f) the Central Government may post scientist/observer on board each of the chartered vessel ; the charterer shall ensure that the Indian scientists and observers, when so directed by the Central Government are permitted on board the chartered vessel for collection and examination of such data and material as may be required by that Government and shall see that such scientists and observers are provided proper food and accommodation on board the vessel by the master of the vessel ;

(g) the charterer shall furnish to the Central Government valuation and sea worthiness certificates for the chartered vessel from an appropriate authority of its flag state and also furnish a copy thereof to the Director General of Shipping, Bombay ;

(h) the charterer shall cause to be furnish to the Central Government the necessary certificates to the effect that the chartered vessel meets with the requirements in respect of safety of yessels and crew as per the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) ;

(i) The charterer shall ensure that,—

(i) no fishing is done for the protected species which are covered under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) ;

(ii) such protected species, if caught are immediately returned to water alive, if possible, and if not they shall be retained and preserved on board the vessel and accounted for in Form C and shall be surrendered at such place as may be directed by the authorised officer ;

(j) the charterer shall not undertaken shrimping operations for exploitation of coastal shrimps ;

(k) where the charterer is a company, the paid up share capital of the company shall not be less than rupees five lakhs during the charter period ;

(l) the charterer shall not pay any marketing commission without the prior approval of the Central Government;

(m) the charterer shall ensure that the chartered vessel reports to the authorised officer before and after every fishing voyage and delivers the copy of the permit in its possession to the charterer before every departure to the foreign port;

(n) the charterer shall ensure that the foreign members of the crew on the chartered vessel are employed only after obtaining necessary clearance from the Central Government;

(o) the charterer shall further ensure that every subsequent change in the foreign members of the crew is made only after the clearance from the Central Government;

(p) the charterer shall furnish to the Central Government voyage-wise statement of fish catch and exports from the chartered vessels with all the necessary details as set out in Form J;

(2) The charterer shall be bound by,—

(i) all or any of the terms and conditions mentioned in sub-rule (1);

(ii) all or any of the terms and conditions applicable to the licence except condition prescribed in clause (a) of sub-rule (1) of rule 5, and

(iii) such additional conditions or restrictions as may be specified in the permit.

9. Display of licence or permit on board the vessel.—(1) Subject to sub-rule (2), a copy of the licence or permit, duly attested by the issuing authority, shall be kept on board the foreign vessel described in the licence or permit while that vessel is in the maritime zone of India and shall be produced for examination by an authorised officer at his request.

(2) Every foreign vessel described in the licence or permit may enter in the maritime zone of India and proceed directly to an Indian port for the purpose of obtaining a copy of the licence or permit if,—

(a) all fishing gear on board the vessel is stowed in the manner specified in rule 14;

(b) the master of the vessel complies with any directions given to him by an authorised officer.

10. Damage to Indian Vessels prohibited.—No foreign vessel fishing in the maritime zone of India under the licence or a permit granted under these rules shall cause any damage either wilfully or through gross negligence to any fishing vessel, fishing stakes, fishing gear, fishing net or other fishing appliances owned or in possession of an Indian citizen;

11. Commencement of fishing operations.—No foreign vessel fishing in the maritime zone of India under the licence or the permit granted under these rules shall commence fishing operations without the clearance from the Coast Guards.

12. Fishing in territorial waters prohibited.—No foreign vessel shall undertake fishing operations within the territorial waters of India, unless otherwise specifically permitted for any specialised type of fishing and shall be subject to any other restrictions that may be specified in the licence or permit.

13. Prohibition to carry any explosives, poisonous or noxious substances.—(1) No foreign vessel or any person shall carry or have in its possession or control any explosives, poisonous or other noxious substances or apparatus fitted for or capable of utilising an electric current, with the intention of using such explosives, poisonous or other noxious substances or apparatus for killing, stunning, disabling or catching fish. Any explosives, poisonous or other noxious substance found on board any vessel or in possession of any person, shall be presumed, unless the contrary is proved to be intended for the use specified above.

(2) No foreign vessel or any person shall attempt to destroy or abandon any fishing gear, fishing net or other fishing appliances, explosives, poisonous or other noxious substances or any other object or thing with the intention to avoid their detection or seizure.

14. Entry into maritime zone of India without licence/permit.—(1) Subject to sub-rule (2), a foreign vessel may, without the authority of a licence or a permit enter the maritime zone of India for the purpose of passing through such waters in the course of a voyage to a destination outside the maritime zone of India.

(2) A foreign vessel that has entered in the maritime zone of India without the authority of a licence or a permit shall comply with the following conditions while in the maritime zone of India,—

(a) all fishing gear on board the vessel shall be stowed below deck or otherwise removed from the place where it is normally used for fishing and placed where it is not readily available for fishing;

(b) all fishing nets, fishing lines, hooks, jigs, trawl boards, weights and floats shall be disconnected from their towing, connecting or hauling wires, ropes or rigid frames;

(c) the master of the vessel shall comply with any directions given to him by an authorised officer; and

(d) where an authorised officer requests information respecting the name, flag state, location, route or destination of the vessel, or the circumstances under which it entered maritime zone of India, the master of the vessel shall promptly convey the information to the officer.

15. Fishing for scientific research, investigation, etc.—Where a foreign vessel is to be used for fishing within any maritime zone of India for the purpose of carrying out any scientific research or investigation or for any experimental fishing, the Central Government may grant a permit to such foreign vessel under section 8 of the Act. Where such a permission is granted, the Central Government may apply all or any of the terms and conditions prescribed for the licence under rule 5 or for permit under rule 8, as well as such additional conditions as may be specified.

16. Contravention of conditions of licence, permits of rules.—Contravention of any of the provisions of these rules shall be punishable with fine, which may extend to Rs. 50,000 without prejudice to the penalties which may be awarded under the Act.

[No. 29012/2/81-Fy. (T.I.)]

S. P. JAKHANWAL, Jt. Secy.

SCHEDULE I

[See rule 5(1) (a)]

Amount payable under rule 5 (1) (a)

Purpose of licence	Amount Payable
1. Fishing by squid jigging.	Rs. 1,000/-per tonne of fish the vessel is permitted by the terms and conditions of the licence.
2. Fishing by trawling.	Rs. 2,000/-per tonne of fish the vessels is permitted by the terms and conditions of the licence.
3. Fishing by long lining/ gill-netting	Rs. 1,500/-per tonne of fish the vessel is permitted by the terms and conditions of the licence.

Purpose of licence	Amount payable
4. Fishing for tuna by long-lining/purse-seining/pole and line fishing.	Rs. 1,000/-per tonne of fish the vessel is permitted by the terms and conditions of the licence.
5. Transporting of fish.	Rs. 500/-per tonne of fish carrying capacity of the vessel for each voyage.
6. For any other purpose mentioned in rule 3(4).	Rs. 200/-per gross registered tonne of the craft for each voyage.

SCHEDULE II

[See rule 8(1) (c)]

Schedule of purchase of vessels

No. of vessels/ pair of Vessles	No. of months from the beginning of the charter operation when obligatory purchase and fishing operation becomes due.				
	First vessel of first pair of vessel	Second Vessel or second pair of vessel	Third Vessel or third pair of vessel	Fourth Vessel or fourth pair of vessel	Fifth Vessel or fifth pair of vessel
1	18	..	..	..	..
2	18	30	..	..	..
3	18	24	33	..	..
4	18	24	33	42	..
5	18	24	33	42	51

FORM A

[See rule 3(1)]

Form of Application of Licence

To

The Secretary to the Government of India,
Department of Agriculture and Cooperation,
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhavan,
New Delhi-110001
India

Sir,

I hereby apply for a licence under section 4 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981, in respect of which the following particulars are furnished :

1. Name of the applicant and postal address.
2. Status of the applicant and his financial position (If the applicant is a company, full details thereof).
3. Present activities of the applicant including the specific activities relating to fishing.
4. Details of fishing vessels/fish processing units/ export/import of fish as in the past three years.
5. Details of the proposed fishing project including particulars on fishing vessels, number of vessels to be operated, anticipated fish catch, project economics, processing and marketing arrangements, area and base of operation, etc.
6. Description of the vessel, equipment and complements :—
 (a) Name of the Vessel.
 (b) Flag state and home port of Vessel.
 (c) Country and port of registration.
 (d) Registration number.
 (e) Radio call sign/signal letter/radio frequencies.
 (f) Name of owner and master of the vessel.
 (g) Nationality and address of owner and master.
 (h) Purpose of vessel (kind of vessel).
 (i) Kind of vessel's hull.
 (j) Vessel's year (date of construction) and date of launching.
 (k) Number of deck.
 (l) Number of mast.
 (m) Registered length.
 (n) Registered breadth.
 (o) Registered depth (draft).
 (p) Gross tonnage and net tonnage.
 (q) Fish Hold capacity and Refrigeration Capacity.
 (r) Kind of main engine, name and place of main engine manufactured.
 (s) Rated H.P. of main engine.
 (t) Kind of propeller.
 (u) Class of equipments (list).
 (v) Certified crew capacity.
 (w) Service limitations of the vessel.
 (x) Name and address of the ship builder.
 (y) Value of the vessel.
 (z) Any other remarks.
7. The electrical specifications of the craft and its equipment.
8. Description of the proposed fishing operation :—
 (a) the species to be fished ;
 (b) the method of fishing and type and dimensions of gear to be used and mesh sizes of different parts of fishing net.
 (c) area/areas to be fished ;
 (d) the amount of fish to be caught ;
 (e) the period of time for which licence is sought ;
 (f) the place in which the fish is to be landed and/or processed.
 (g) a description of support operations and the name and licence number (if any) of fishing vessels in support of which related activities are to be carried out.
9. Name and address of the person resident in India appointed by the owner to represent him in all dealings with the Government and evidence of the extent to which he is authorised to undertake legal and financial obligations on behalf of the owner.
10. Plans for the use of Indian facilities in the support, provisioning and maintenance of vessels.
11. Such other information as may be required by the Government of India.

Dated.....Day.....of.....of the year.....

Signature of the applicant

FORM D

[See rule 5 (1) (h) (iv)]

Data on quantity of fish caught in excess of permitted quantum

1. Name and address of the fishing company :
2. Particulars of fishing vessels.
 Name :
 Size :
 Horse Power of Main Engine.
 Base of operation.
3. Licence Number and period of validity.
4. Description of fishing operations authorised in the licence.
5. Species-wise quantity of fish permitted in the licence (quota).
6. Details of catch particulars.

No.	Location of fishing vessel	Date & Time	Fishing Zone	Length, Depth and mesh size of fishing gear	Species caught	Raw weight (Kg.)	Processed products prepared on board the vessel if any.	Weight (Kg.)	Total catch (Kg.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

7. Details of excess catch

Sl.No.	Location of fishing vessel	Date & Time	Fishing Zone	Depth (Metres)	Species caught in in excess	Average Weight (Kg.)	Average length (cm)	Condition of fish	Reasons for excess catch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Particulars of excess catch surrendered

Species	Weight (Kg.)	Place of surrendering	Authority to whom surrendered

9. Remarks of Master/Skipper.

Signature of owner/owners representatives

FORM E

[See Rule 5 (1) (h) (vi)]

Daily Cumulative catch Log

1. Name and address of the fishing company :
2. Particulars of fishing vessels :
 Name :
 Size :
 Horse Power of Main Engine.
 Base of operation.

IndiaCode

FORM B

[See rule 3 (4)]

Government of India

MINISTRY OF AGRICULTURE

Department of Agriculture and Cooperation
New Delhi

No.....

Dated.....

Licence to Fish in the Exclusive Economic Zone of India

This Licence is granted in pursuant to section 4 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981).

2. The foreign Fishing vessel described hereunder is hereby licensed for the purposes specified in paragraph 3 of this licence and in accordance with the conditions set out in paragraphs 6 and 8 of this licence and shall be subject to all the Indian laws that apply to the vessels in the Maritime Zones of India.

Description of the vassel

Name of the vessel.....

Name of the owner.....

Type of vessel.....

Country of registration/Flag State.....

Registration Number.....

Overall length.....

Gross tonnage.....

International radio call sign and radio frequency.....

Name and address of the master.....

3. The purposes for which the vessel may be used :

4. Area :

5. Period :

6. The licencee shall be bound by the terms and conditions specified in rule 5 and the additional condition/restriction specified in paragraph 8.

7. Exemptions in the terms and condition, if anv.

8. Additional conditions.

9. Names of the foreign crew :

10. List of Required Equipments.....
.....

11. Subject to the provisions of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Rules, 1982, this licence is valid from theday of.....198to the..... day of198

12. This licence is not transferable.

Secretary to the Govt. of India

FORM C

[See rule 5(1)(h) (ii)]

Data on catch of prohibited fish species

1. Name and address of fishing company :

2. Particulars of fishing vessels :
 Name
 Size
 Horse Power of Main Engine :
 Base of operation :

3. Licence Number and period of validity.

4. Description of fishing operations authorised in the licence.

5. Details of fishing gear used :— (a) Length of headline.
 (b) Greatest depth.
 (c) Mesh size.

6. Description of the catch

Sl. No.	Location of the vessel		Date and Time	Gear in operation	Fishing Zone	Depth (Metre)	Species (prohibited)	Average Length (CM)	Average Weight (Kg)	Number
	Latitude	Longitude								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										

7. Place of surrendering the catch.

8. Conditions of the catch at the time of surrendering.

9. Comments of the Master/Skipper.

Signature of owner/owners representatives

FORM D

[See rule 5 (1) (h) (iv)]

Data on quantity of fish caught in excess of permitted quantum

1. Name and address of the fishing company :
2. Particulars of fishing vessels.
 Name :
 Size :
 Horse Power of Main Engine.
 Base of operation.
3. Licence Number and period of validity.
4. Description of fishing operations authorised in the licence.
5. Species-wise quantity of fish permitted in the licence (quota).
6. Details of catch particulars.

No.	Location of fishing vessel	Date & Time	Fishing Zone	Length, Depth and mesh size of fishing gear	Species caught	Raw weight (Kg.)	Processed products prepared on board the vessel if any.	Weight (Kg.)	Total catch (Kg.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

7. Details of excess catch

Sl.No.	Location of fishing vessel	Date & Time	Fishing Zone	Depth (Metres)	Species caught in in excess	Average Weight (Kg.)	Average length (cm)	Condition of fish	Reasons for excess catch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Particulars of excess catch surrendered

Species	Weight (Kg.)	Place of surrendering	Authority to whom surrendered

9. Remarks of Master/Skipper.

Signature of owner/owners representatives

FORM E

[See Rule 5 (1) (h) (vi)]

Daily Cumulative catch Log

1. Name and address of the fishing company :
2. Particulars of fishing vessels :
 Name :
 Size :
 Horse Power of Main Engine.
 Base of operation.

IndiaCode

3. Licence Number and period of validity.

4. Description of fishing operations authorised.

5. Species-wise catch of fish and quantity permitted in the licence.

6. Fishing Area.

7. Date of entry to Indian Exclusive Economic Zone.

S.No.	Vessel number	Position	Date & Time	Time of Shooting gear	Time of hauling gear	Hours of fishing	Depth (Metre)	Type of gear
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mesh Size	Species caught	Quantity	Disposition	Cumulative total	Cumulative disposition	Details of transhipment
10	11	12	13	14	15	16

8. Details of Disposition of catch

Item	Quantity (Kg.)
(a) Consumption :	
(b) Fish gutted :	
(c) Head on (or off) :	
(d) Filletted.	
(e) Frozen.	
(f) Canned.	
(g) Fish meal	
(h) Oil	

Signature of owner/owner's representative

FORM F

[See rule 5 (1) (i) (iii)]

Paaticulars of transhipment

1. Name and address of fishing company.

2. Particulars of fishing vessels.
 Name :
 Size :
 Horse Power of main engine.
 Base of operation.

3. Licence Number and period of validity.

4. Catch and Effort Data :

Area	Species	Number of days fished	Catch (in kg)	Product from vessel

5. Licence Number and side number of vessel receiving transhipment.

6. Position at the time of transhipment :
 Latitude
 Longitude

IndiaCode

7. Date of message from vessel :

8. Species and quantities transferred :

Species	Gross wieght (kg.)	Value

Signature of own licencee/his representatives

FORM G

[See rule 5 (1) (j)]

Particulars of processing operations on board the vessel under licence

1. Name and address of fishing company.

2. Particulars of fishing vessels.
 Name
 Size
 Horse Power of main engine.
 Base of operation.

3. Licence Number and period of validity.

4. Description of fishing operations authorised in licence.

5. Name of the port to be used as base.

6. Processing Machinery and Equipment :

Type	Number of Units	Specifications and daily capacity	Percentage utilisation of capacity

8. Storage and holding

Nature of storage	Number of species	Dimensions/volume of fish hold

9. Processing details.

Species	Area of Operation	Date of operation	Duration of operation From To	Catch particulars	Products prepared on vessel & quality (Kg.)

(Enter in this column, types of products processed on board the vessel by species, viz : fish gutted, head on (or off) filletted, salted, frozen, caned, meal & oil etc.

10. Position and time of reporting :
 Latitude
 Longitude
 Time
 Date

Signature of owner/owner's representative.

IndiaCode

FORM H

[See rule 6 (2)]

Form of Application for 'Permit'

Outline Details Required for Proposed Operations

1. Name of the applicant and postal address.

2. Whether the applicant is a registered company under the Companies Act, if so, furnish the following particulars:—

(a) Date and number of Registration and Place.

(b) Authorised, Subscribed and paid up share capital.

(c) Attach latest Balance-sheet.

(d) If the company comes under the provision of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), please staate whether necessary clearance is available.

3. The foreign collaborator's name, address, Telephone number, Telex number and name of Bankers and their activities in India and in other countries.

4. Present activities of the applicant, if any :

(a) Specified activities undertaken.

(b) Details of fishing vessels/fish processing units and fish export made during the past three years.

(c) Name of all Directors/Chief Executive/Operations Manager/other employees of the Indian Company, their experience in marine fisheries indicating specified fields.

5. Details of the Project proposed to be taken up (enclose project report covering particulars on fishing vessels, anticipated fish production, processing and marketing organisation, management, including financial sources, economics of operation, area and base of operation, identity of fishery resources to be exploited, catching methods, gear to be employed, etc.)

(a) Type of vessels, type of gear and number of vessels proposed to be chartered (Enclose detailed spacifications and general arrangement drawings and also a full list of machinery and equipment, navigational lights, life saving appliances, fire fighting equipment, inventory items etc.)

(b) Description of the vessel, equipment and crew complement (Enclose certificate given by competent authorities regarding valuation and sea worthiness of the vessels):—

(i) Name of the vessel.
(ii) Flag state and home port of vessel.
(iii) Country and port of registration.
(iv) Registration number.
(v) Radio call sign/signal letter/radio frequencies.
(vi) Name of owner and master of the vessel.
(vii) Nationality and address of owner and master.
(viii) Purpose of vessel (kind of vessel).
(ix) Kind of Vessel's hull.
(x) Vessel year (date of construction and date of launching).
(xi) Number of deck.
(xii) Number of mast.
(xiii) Registered length.
(xiv) Registered breadth.
(xv) Registered depth (draft).
(xvi) Gross tonnage and net tonnage.
(xvii) Fish Hold capacify and refrigeration capacity.
(xviii) Kind of main engine, name and place of main engine manufactured.
(xix) Rated Horse Power of main engine.
(xx) Kind of propeller.
(xxi) Class of equipments (list).
(xxii) Certified crew capacity.
(xxiii) Service limitations of the vessel.
(xxiv) Name and address of the ship builder.
(xxv) Value of vessel.
(xxvi) Any other remarks.

(c) Number, cuassification and experience of foreign crew.

(d) Number and names of foreign personnel to be employed ashore.

(e) Enclose authenticated copy of the offer received from foreign collaborator.

6. Duration of charter.

7. Annual rate of charterage or charterage for entire duration.

8. Whether the charterer retains option to purchase vessels after the charter period and terms thereof.

9. Whether the foreign collaborator is willing to assist in export of catches, if so, the terms and conditions.

10. Arrangements for training of Indian-counterparts.

11. Statement of foreign exchange inflow anticipated (excluding payments in foreign exchange out of total earnings by way of exports) for the duration of charter.

12. Total income, total expenditure and net profit anticipated for the duration of charter.

13. Form of charter party proposed to be entered into.

14. Financial arrangements (Describe in detail).

15. Proposals of shore establishment (if any).

(i) Intended location and description of any shore based plant.
(ii) Proposal for registration and date of completion of any shore based plant as a Registered Export Establishment.
(iii) Arrangements for processing catch.
(iv) Estimated annual output of the plant.
(v) Percentage of total catch to be processed and/or exported.
(vi) Export market and marketing arrangements for total catch.

DECLARATION

I/we.....by this declaration subscribed by me/us pursuant to and in compliance with section 5 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981, (42 of 1981), fully understand all the provisions of the said Act and Rules and orders issued thereunder and agree to abide by them. I/we.....further declare that the particulars furnished in the above application are true to the best of my/our knowledge.

Signature of the applicant (s)

FORM I

[See rule 6 (4)]

Government of India

Ministry of Agriculture

Department of Agriculture & Cooperation

New Delhi

No.

Dated.....

Permit to Fish in the Exclusive Economic Zone of India

This permit is granted in pursuant to section 5 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act 1981 (42 of 1981).

2.is hereby permitted to use the foreign fishing vessels under charter described hereunder for the purposes specified in paragraph 5 of this permit and in accordance with the conditions set out in paragraphs 8 and 10 of this permit and shall be subject to all the Indian laws that apply to the vessels in the Maritime Zone of India.

3. Description of the vessel

(i) Name of the vessel :
(ii) Type of vessel :
(iii) Country of registration :
(iv) Registration number :
(v) Overall length :
(vi) Gross tonnage :
(vii) International radio call sign and radio frequency :
(viii) Name and address of the master :
(ix) Name and address of the foreign collaborators.

4. Details of charters fee, made of payment and any other stipulation.

5. The purposes for which the vessel may be used.

6. Base and area of operation.

7. Period of operation of the vessel.

8. The permit holder shall bound by the terms and conditions specified in rule 8 and the additional conditions/ restrictions specified in paragraph 10.

9. Exemptions in the terms and condition if any

10. Additional conditions.

11. Names of foreign crew

12. Subject to the provisions of the Maritime Zones of India (Regulation by Foreign Vessele) Rules, 1982, this permit is valid from theday of198to the.....day of.....198

13. This permit is not transferable.

Dated.....

Secretary of the Govt. of India

FORM J

[See rule 8(1) (p)]

Voyage-wise Statement to be Furnished by the Charterer

1. Name and adress of the Charterer.

2. Particulars of fishing vessels:
Name
Size Over length

Gross Registered Tonnage.

Horse Power of main engine.

Base of Operation.

3. Number of crew :

Foreign.

Indian.

4. Period of voyage :

(i) Date of departure from foreign port.
(ii) Date of entry into the Maritime Zone of India.
(iii) Date of reporting at the base of operation.
(iv) Period of fishing From To
(v) Date of departure from the base of operation.
(vi) Date of leaving the Maritime Zone of India.

5. Details of each fishing operation (for each haul)

(i) Haul Number.
(ii) Type and Size of Gear.
(iii) Position Shotting Hauling
Latitude
Longitude
(iv) Time
Shot
Hauled
(v) Depth (meters)
(vi) Total catch (in kilograms)

Maintain species caught	Weight (Kilograms)
1.	
2	
3.	
4.	
5.	
6	
etc.	

6. (i) Value declared at customs for the total catch and for each variety (in foreign currency).

(ii) Value realised on domestic marketing for each variety (in Indian rupees).

7. Quantity, value and country to which each item was exported.

8. Payment made to foreign collaborator :
In foreign exchange.
In Rupees.

9. Payment received from foreign collaborator
In foreign exchange.
In Rupees.

Signature of the Charetrer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982